नेशनल मेगा लोक अदालत दिनांक 11.02.17 में प्रस्तुत। फरियादी रामवीर सहित अधिवक्ता श्री लतीफ खॉन।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री सतीश मिश्रा। प्रकरण राजीनामा हेत् नियत है।

फरियादी रामवीर की ओर से दिनांक 09.02.17 को एक राजीनामा अवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमित बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमित आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320—2 फरियादी के हस्ताक्षर प्रस्तुत किया था तथा आज लोक अदालत डॉकेट मय आवेदन पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया फरियादी की पहचान श्री लतीफ खॉन एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री सतीश मिश्रा द्वारा की गयी।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से रांजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमित से फरियादी द्वारा श्रमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंमा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

W/

Date of Order or Proceeding

## Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 379 भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

अस्टिस्य विकास-किक्का Zag स्वर्य गायक माजस्ट प्राध्मारी ज